एकात्म भारत के लिए
सुचेन्द्र मिश्रा द्वारा प्रकाशित

एकात्म भारत

@EkatmaBharat
दैनिक एकात्म भारत

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, एकादशी,
शनिवार विक्रम संवत् 2076

जो एकात्म है वही भारत है

7 दिसंबर 2019, इंदौर
e-paper : www.ekatmabharat.com

सेवा भारती समाज को एक सूत्र में पिराने का काम कर रही

भोपाल

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, जनजातियों, पिछड़े समुदायों के उत्थान के लिए सेवा भारती विभिन्न वर्गों को जोड़ने का कार्य कर रही है। यह बात स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्रीय निदेशक संजय भटनागर ने शुक्रवार को सेवा भारती के कार्यक्रम में कही।

उन्होंने कहा आज हम प्रगति के पल पर बहुत आगे निकल चुके हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे जनजाति समाज हो या पिछड़ा समाज उनको भी समाज के मुख्यधारा में लाने का काम हमें करना होगा। समय निकालकर काम करें। जिससे आत्म संतुष्टि प्राप्त होगी। जन जनजाति बंधु भारत का भविष्य है जो आने वाले समय में देश को नई दिशा देंगे, यदि हम अपना आज सुधारेंगे तो हमारा कल सुधरेगा। उन्होंने कहा अपने पास जो कुछ है वह समाज का दिया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस, सेवाभारती निर्मला सगदेव बालक छात्रावास को पिछले तीन सालों से सीएसआर के माध्यम से आर्थिक सहयोग कर रहा है। कार्यक्रम में सेवाभारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री, रामेंद्र सिंह, अभिषेक मुजूमदार, सपन कुमार सिंह, काजल शाह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए।

पड़ोस से आए 3 करोड़ अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से सुधरेगी गलती

केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को काफी उम्मीदें हैं

नई दिल्ली

केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को काफी उम्मीदें हैं। संघ का मानना है कि इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़न के चलते भागने को मजबूर हुए तीन करोड़ से अधिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. इन अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं. संघ ने इस विधेयक को ऐतिहासिक भूल सुधार की कोशिश बताते हुए कहा है, "देश का विभाजन एक गलती थी. पड़ोसी मुस्लिम देशों में उत्पीड़न के शिकार हिंदू आदि अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलने से गलती दुरुस्त होगी। संविधान सभा में भी इसको लेकर बहस हो चुकी है।" केंद्रीय कैबिनेट से 4 दिसंबर को विधेयक की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते लोकसभा और राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किए जाने की संभावना है।

संघ का मानना है कि भाजपा विरोधी दल भी इस विधेयक का समर्थन करेंगे। विधेयक के ड्राफ्ट में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का प्रस्ताव है। आरएसएस के अखिल भारतीय स्तर के एक शीर्ष पदाधिकारी ने शुक्रवार को यहां आईएएनएस को बताया, "पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आकर यहां रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों की संख्या करीब दो से तीन करोड़ है जिन्हें यह विधेयक भारतीय नागरिक बनकर सम्मान से जीने का मौका देगा।"

नागरिकता संशोधन विधेयक के जरिए सिर्फ गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के प्रस्ताव पर हो रही आलोचनाओं की संघ को परवाह नहीं है। संघ के शीर्ष पदाधिकारी ने कहा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की तुलना उन कट्टरपंथी देशों के बहुसंख्यक समुदायों के घुसपैठियों से नहीं की जा सकती जो अवैध तरीके से भारत में आए हैं. तीनों देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना भारत की नैतिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने आगे कहा कि उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यकों की तुलना अवैध घुसपैठियों से नहीं की जा सकती है। अगर किसी को रहना है तो वह वर्क परमिट लेकर रहे। संघ नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) को हिंदू-मुस्लिम चश्मे से देखने का विरोध करता है। बिल के बारे में बहुत सी गलत चीजें कहीं जा रहीं हैं। ऐसे में हम एक वेबसाइट भी लांच कर रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों की नागरिकता को लेकर देश में अब तक चली बहसों के साथ अन्य तमाम जानकारियां हैं।

हिंदू छात्रा की मौत को लेकर लीपापोती, न्यायिक आयोग बोला आत्महत्या की

जबकि नवंबर में आई अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह उजागर हुआ था कि नमृता की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई

इस्लामाबाद

पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति का अंदाजा मेडिकल छात्रा नम्रता चंदानी के मामले से लगाया जा सकता है। जहां पहले नम्रता की मौत को हत्या बताया गया था वहीं अब न्यायिक आयोग कह रहा है कि नम्रता ने आत्महत्या की थी। यह मामला इस बात का उत्तर भी है कि क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल की आवश्यकता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई हिंदू छात्रा नमृता चंदानी के मामले में लीपापोती के प्रयास शुरू हो गए हैं। मामले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने दावा किया है कि छात्रा ने खुदकशी की थी। आयोग ने हत्या की बात को खारिज किया है। जबकि गत नवंबर में आई अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह उजागर हुआ था कि नमृता की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई थी। घोटकी जिले की रहने वाली नमृता लरकाना के बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज में स्नातक की छात्रा थीं। उनका शव गत 16 सितंबर को हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला था।

सूत्रों के अनुसार, जांच आयोग ने 17 पेज की अपनी रिपोर्ट सिंध प्रांत के गृह विभाग के पास भेज दी है। लरकाना के जिला और सेशन जज की अगुआई वाले इस आयोग ने चश्मदीदों समेत डेंटल कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ से पूछताछ के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है।

आयोग ने पुलिस जांच, पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट की भी समीक्षा की। इसके अलावा नमृता के सेलफोन और लैपटॉप के साथ ही संदिग्धों और अन्य

साक्ष्यों के फोरेंसिक डाटा को भी खंगाला गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, 'नमृता अपने एक दोस्त द्वारा शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के चलते बेहद तनाव में थीं। गंभीर तनाव और हताशा के चलते नमृता ने आत्महत्या की थी।'नमृता (25) की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट गत छह नवंबर को जारी की गई थी। इसके अनुसार, नमृता की मौत दम घुटने से हुई थी। डीएनए टेस्ट में छात्रा के कपड़ों पर पुरुष डीएनए मिलने की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा एक अन्य जांच में जबरन यौन संबंध बनाने की भी पुष्टि हुई थी।

प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कराची स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों ने सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि गले पर मिले निशान गला घोंटने की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया था कि पांच फीट लंबी छात्रा खुद ही कैसे कमरे में पंखे से फंदा लगाकर लटक गई? जबकि पंखा 15 फीट की ऊंचाई पर था।